

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/79

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	29/2024	15/2/2024		18/3/24

अनवान

श्री महेश ड/० मोहन धाऊ

श्री अगदीश ड/० धीता धाऊ

निवासी थडौंदा वर बिजौलिया

निवासी थडौंदा वर बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामचूल धाऊ

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां





प्रतिवादी

बनाम

जगदीश

किस्म मुकदमा - 111-128

नम्बर 29 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 18/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p>	
12/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिमाफक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ए.ओ. का दौरा पर है। प्रत्येकी दिनांक 21/4/24 को वास्ते तलवी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
21/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिमाफक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ए.ओ. का दौरा पर है। प्रत्येकी दिनांक 21/4/24 को वास्ते तलवी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
4/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध छ-पक्षीय कार्यवाही के भादेश पारित किए गए क्योंकि विपक्षी वाद-शुद्धा अनुपस्थित। पत्रावली में भादेश-पारित किए गए, जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली-फैलव शुमार होकर, नम्बर से कम होकर पारित पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 29/24

तारीख 15/2/24

महेन्द्र पुत्र मोती जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र छीतर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

--: आदेश :-

दिनांक: 04/4/24

प्रार्थना पत्र महेन्द्र पुत्र मोती जाति धाकड निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 341 पर अंकित आराजी संख्या 721 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.3157 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3885 हैक्टेयर भूमि सामलाती पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 341 पर अंकित आराजी संख्या 721 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.3157 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3885 हैक्टेयर भूमि सामलाती बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - २७/२४

तारीख 15/02/24

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या२७...../ 2024 पत्थरगढी बाबत।

महेन्द्र पुत्र मोती जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र छीतर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 341 पर अंकित आराजी संख्या 721 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.3157 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3885 हैक्टेयर भूमि सामलाती की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



8
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - २७/२४

तारीख 15/2/24

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या२७...../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

महेन्द्र पुत्र मोती जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र छीतर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 341 पर अंकित आराजी संख्या 721 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी संख्या 722 रकबा 0.3157 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 0.3885 हैक्टेयर भूमि सामलाती की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा